...राज पुत्र खींयाराम जाति ...

...करण पुत्र किरतु (माता) पुराराम (पिता) जाति ... जिला बीकानेर

देवाराम पुत्र किरतु (माता) पुराराम (पिता) जाति रेगर निवासी ग्राम दासोड़ी तह. कोलायत जिला बीकानेर

गीता पुत्री किरतु पत्नी सुरजाराम जाति रेगर निवासीनी ग्राम बीग्गा तह. श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर

62 कमला पुत्री किरतु पत्नी नेमीचन्द जाति रेगर निवासीनी ग्राम बीग्गा तह. श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर

63 ज्याना पुत्री किरतु पत्नी अशोकराम जाति रेगर निवासीनी ग्राम सोयला तह. भोपालगढ़ जिला जोधपुर

64 बीरबल पुत्र खींयाराम जाति रेगर निवासी ग्राम साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू राज.

65 ईशरचन्द पुत्र मालाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम साण्डवा तहसील बीदासर चूरू राज.

66 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू राज. प्रतिवादीगण

दावा बाबत कृषि भूमि का विभाजन अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1 वादी – मोहम्मद आमीन शेख एडवोकेट

2 प्रतिवादी – दीनदयाल एडवोकेट, पेरोकार राज.

दिनांक :– 15–7–2017

निर्णय

वाद पत्र के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी, प्रतिवादीगण के सयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त उपयोग उपभोग का खेत खसरा नम्बर 881 तादादी 37–10 बीघा वाके रोही ग्राम साण्डवा तहसील बीदासर में सयुंक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त में चली आ रही है। जिसमें वादी का 136 हिस्सा खातेदारी कब्जा काश्त की दर्ज है। वादी की भूमि वादी के पिता के खरीद के समय से हिस्सा पांती कब्जा काश्त उपयोग उपभोग में चली आ रहा है। वादगत खेत में वादी का 136 हिस्सा ग्राम साण्डवा के मुख्य बाजार से अगूणी तरफ स्थित है। वादी के भूमि के अगुणी तरफ हंसराज रेगर की भूमि के खेत की दक्षिणी तरफ शंकर रेगर का मकान व भंवरलाल रेगर का मकान मय रास्ता व उंकारी नायक का मकान एवं वादी के खेत के उतरी तरफ मानाराम मेघवाल का मकान व मोहनराम मेघवाल की भूमि एवं वादी के खेत की पश्चिमी तरफ रास्ता आम स्थित हे। जिसमें वादी अपने कब्जा काश्त की भूमि की पुख्ता सीवें कायम कर रखी है व वादी के पिता के द्वारा खरीद के पश्चात अपनी भूमि पर काबिज काश्त खातेदार चले आ रहे है।

लगातार ....4 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये ।

[illegible] वादी एवं प्रतिवादीगण ने [illegible]
[illegible] में सयुक्त खातेदारी अंकित होने के कारण [illegible]
[illegible] लगे है वादी के पिता के खरीद के समय से ही वादी अपने [illegible]
[illegible] है। वादी को सरकारी लाभांश प्राप्त करने एवं राजस्व लगान आदि चुकाने में
[illegible] होती है। इसलिए वादी के लिए आवश्यक हो गया कि वादगत खेत की सयुक्त
[illegible] का मौखिक विभाजन के मुताबिक विधिवत बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड के आधार पर
[illegible] कर अपना 136 हिस्सा की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में पृथक अंकित करवा कर लगान
[illegible] कराये। बाकी प्रतिवादीगण से दिनांक 5–1–2017 को मौखिक विभाजन के मुताबिक
[illegible] कर राजस्व रेकार्ड में पृथक पृथक खातेदारी अंकित कराये, परन्तु प्रतिवादीगण ने साफ
[illegible] कर दिया। इसलिए वादी के लिए यह आवश्यक हो गया कि न्यायालय से वादगत खेत
[illegible] विभाजन कराये। वादी सयुक्त खातेदार कृषक है इसलिए वादी को वादाधार प्राप्त है वा
प्रतिवादीगण द्वारा साफ मना करने से इन्कार होने से वाद हैतुक प्राप्त है। वादगत भूमि ग्राम
[illegible] की रोही तहसील बीदासर जिला चूरू में होने से इस न्यायालय को सुनवाई करने का
क्षेत्राधिकार व श्रवणधिकार है। वादी का अपना 136 हिस्सा की अलग खातेदारी दर्ज की जाकर
वाद व्यय दिलावाया जाये।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी सख्या 2, 3, 9, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 33, 34, 35 के द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादीगण स. 3 से 7 व 10 से 14 व 17 से 19, 21, 25, 26, व 36 से 38 व 40 से 45, 54, 56, 58, 64 विधिवत तामील के बावजूद हाजिर नहीं आने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। शेष प्रतिवादीगण सख्या 15, 16, 18 की और से श्री दीनदयाल एडवोकेट ने वकालतनामा प्रस्तुत कर दिनांक 27–4–2017 को जवाब नही देना जाहिर किया। प्रतिवादीगण सख्या 29 से 32 व 46 से 53 व 59 से 63 व 55 व 57 व 65 की रजिस्ट्रर्ड डाक से विधिवत तामील के उपरान्त कोई हाजिर नहीं आने पर पत्रावली में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सख्या 66 की और से पैरोकार राज ने प्रकरण में अपने जवाब में राज हित निहित नही होना अंकित किया।

वादी की और से अपनी साक्ष्य में गवाह पी. डब्ल्यू–1 वादी स्वयं प्यारेलाल के बयान कराये व दस्तावेज प्रदर्श–1 ता 2 प्रस्तुत कर प्रदर्शित कराये।

बहस उभय पक्षकारान् विद्वान अधिवक्ता की सुनी गई एवं पत्रावली का भलीभांती अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने अपने वादपत्र के साथ अपना शपथ पत्र पेश कर वादपत्र के तथ्यों की ताईद की। प्रतिवादीगण सख्या 2, 3, 9, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 33, 34, 35 के द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया, प्रतिवादीगण सख्या 15, 16, 18 जवाब देना नहीं चाहते। अन्य प्रतिवादीगण बावजूद तामील के हाजिर अदालत उपस्थित नहीं आये। इसलिए वादी का वादपत्र स्वीकार किया है।

वर्तमान रेकार्डेड खातेदार पुराराम पुत्र प्रेमाराम फौत हो चुका है, जिसके विधिक वारिसान प्रतिवादी सख्या 2 व 3 तथा खातेदार माणकचन्द के विधिक वारिसान प्रतिवादी सख्या 4, 5, 6 तथा खातेदारा भंवरी पुत्री प्रेमाराम पत्नी राजूराम मेघवाल के विधिक वारिसान प्रतिवादी सख्या 10, 11, 12, 13 तथा खातेदारा पारकी पुत्री प्रेमाराम पत्नी पुराराम मेघवाल के विधिक वारिसान प्रतिवादी सख्या 14 ता 19 तथा खातेदार गुमानाराम विधिक वारिसान प्रतिवादी सख्या 21 ता 26 तथा खातेदार रिमा पुत्री बालुराम पत्नी मोडूराम मेघवाल निवासी धनेरू के एक मात्र पुत्र वारिस कुशलाराम (फौत) के विधिक वारिस प्रतिवादी सख्या 29 तथा खातेदार सुई पुत्री

लगातार.......5 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

फास कामेशनर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			
बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये ।

...न पत्नी मोडूराम मेघवाल निवासीनी लाड़नू के विधिक वारिसान प्रतिवादी सख्या 30 व ... खातेदार मॉगीलाल पुत्र श्रीराम मेघवाल के विधिक वारिसान प्रतिवादी सख्या 34 व 35 के ... में प्रकरण में बतौर पक्षकार संयोजित किया गया है। इसी प्रकार खातेदार रामेश्वर पुत्र ...नाराम मेघवाल अविवाहित फौत हो चुका है जिनके विधिक वारिसान सगे भाई प्रकरण में पक्षकार संयोजित है।

प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श 1 ता 2 नकल जमाबन्दी ग्राम दूंकर सम्वत् 2072–2075 के अनुसार खसरा नम्बर 881 रकबा 37–10 बीघा में सभी पक्षकार बतौर खातेदार सयुक्त दर्ज रिकोर्ड है। वादी ने अपने वाद पत्र में अंकित किया है कि वादी व प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 65 का खान पान लेन देन रहन सहन आदि अलग अलग है वा वादी को सरकारी लाभांश व राजस्व लगान चुकान में भारी परेशानीयों का सामना करना पड़ता है जिसे नहीं मानने का कोई आधार नहीं है अतः वादी के पाद पत्र. की पुष्टि होती है। वादी वादगत खेत में अपना 136 हिस्सा की खातेदारी अकेले के नाम राजस्व रेकार्ड में पृथक खातेदारी अंकित की जाकर लगान का विभाजन करवाने का अधिकारी है। अन्य पक्षकार कोई उपस्थित नहीं इसलिए पक्षकार अपना अपना खर्चा मुकदमा वहन करे। अतः वाद वादी डिकी योग्य है।

अतः वादी का वाद इस कदर प्रारम्भिक डिकी किया जाता है कि खसरा नम्बर 881 रकबा 37 बीघा 10 बिश्वा वाके रोही साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू में वादी का अपना 136 हिस्सा की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में अलग खातेदारी दर्ज की जाकर अलग लगान कायम किया जावे व राजस्व रेकार्ड के नक्शा में तरमीम किया जावे। वादी का वाद प्रारम्भिक डिकी जारी हो। प्रारम्भिक डिकी की पालना व विभाजन प्रस्ताव हेतू तहसीलदार बीदासर के नाम जारी हो। इस प्रकार डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15–7–2017 को मैगा कैम्प कोर्ट बीदासर में सरे इजलास सुनाया गया।

(संजू पारीक)
उपखण्ड अधिकारी
बीदासर चूरू

उपखण्ड अधिकारी बीदासर

न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी व उपजिला ...

फास कामेशनर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	

... हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये ।